(12)

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के द्वारा सौजन्यता प्रदर्शित करने/आतिथ्य प्रदान करने के संबंध में।

सरकारी बैठकों, राज्य सरकार द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यशालाओं विचार गोष्ठियों में या सरकार से विचार-विमर्श के लिए राज्य में आनेवाले महानुभावों तथा सरकारी कार्य से बाहर से आनेवाले पदाधिकारियों या महानुभावों के प्रति सौजन्यता का प्रदर्शन कर उनके आतिथ्य पर होनेवाले व्यवस्था के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प सं0- 635 दि0 04.08.2005 की कंडिका- (2) "ख" एवं 2 (ग) में संशोधन कर निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(2) "ख"- बैठक इत्यादि के दौरान अल्पाहार तथा दिवा भोज/रात्रि भोज पर प्रति व्यक्ति क्रमशः 50/- (पचास) रूपये एवं 300/- (तीन सौ) रुपये की सीमा तक व्यय किया जा सकेगा। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव की ओर से दिये जाने वाले अल्पाहार एवं रात्रि भोज/दिवा भोज के लिए व्यय की यह ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। इन दोनों महानुभावों के मामलों में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भोज की प्रकृति को दृष्टि पथ में रखकर उपर्युक्त सीमा से अधिक राशि भी व्यय कर सकेंगे।

(2) "ग" - सौजन्यता के प्रतीक के तौर पर आगत महानुभावों अधिकारी या प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एवं अन्य सदस्यों को मोमेन्टो या उपहार के रूप में दी जानेवाली सामग्री पर 500/- (पाँच सौ) रुपये तक की राशि व्यय की जा सकेगी। परन्तु यह व्यय सीमा माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा दिये जाने वाले मोमेंटो/उपहार पर लागू नहीं होगा।

2. संकल्प सं0- 635 दिनांक 04.08.2005 के शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/- 23/8/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- बी/बजट.01-1007/05- 1021 / पटना-15, दि0 23 अगस्त, 07.

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव।

(11)



ज्ञापांक- 1021 / पटना-15, दि० 23 अगस्त,07.

प्रतिलिपि- सभी विभाग/महामहिम राज्यपाल के सचिव/सभी प्रांडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 1021 / पटना-15, दि० 23 अगस्त,07,

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 1021 / पटना-15, दि० 23 अगस्त,07.

प्रतिलिपि- उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी अलग से 500 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (सामान्य शाखा) को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

2318